न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 23.07.2026
सेशन प्रकरण संख्या:31/25
सी.आई.एस नंबर 27/25
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -452/24 थाना एन.ई.बी
अंतर्गत धारा -126[2], 115[2] सपठित धारा 3[5], 109[1] सपठित धारा 3[5] भारतीय न्याय संहिता

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।
-श्री तेजसिंह चौधरी, श्री प्रेमसिंह, विद्वान अधिवक्ता ।

बनाम

अभियुक्तः-

1. ओमकार प्रसाद पुत्र हरिओमप्रकाश
2. ओमप्रकाश पुत्र हरिओमप्रकाश

निवासीगण सरस्वती कॉलोनी ठाकर वाला कुंआ 200 फुट रोड अलवर पुलिस थाना एनईबी जिला अलवर

उपस्थितः-श्री अख्तर हुसैन, श्री सलीम खान विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	06.12.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.12.2024
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	19.02.2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	09.06.2025

साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	09.06.2025
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	23.07.2026
निर्णय की तिथि	23.07.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	गौरव कुमार यादव	बयान 180 बीएनएसएस, नक्शा मौका, फर्द जब्ती
पी डब्ल्यू 2	विपिन शर्मा	बयान 180 बीएनएसएस, नक्शा मौका, फर्द जब्ती
पी डब्ल्यू 3	मोहनलाल	हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 4	डा. पी.सी सैनी	एमएलसी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृतिप्रदर्श संख्या
1	प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–02	एफआईआर संख्या 0452/2024 थाना एनईबी
3	प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल

4	प्रदर्श पी–04	चोट प्रतिवेदन पत्र गौरव यादव
5	प्रदर्श पी–05	एक्स रे रिपोर्ट गौरव यादव
6	प्रदर्श पी–06	एक्स रे प्लेटस गौरव यादव
7	प्रदर्श पी–07	Admission and Discharge record Gaurav Yadav of Rajiv Gandhi General Hospital Alwar
8	प्रदर्श पी–08	मस्तिष्क का सीटी स्कैन गौरव यादव
9	प्रदर्श पी–09 लगायत 12	फोटोग्राफस गौरव
10	प्रदर्श पी–13	फर्द जब्ती खून आलूदा फौम के टूकडे व सादा मिट्टी घटनास्थल
11	प्रदर्श पी–14	फर्द जब्ती एक खून आलूदा टीशर्ट
12	प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम ओमकार प्रसाद
13	प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम ओमप्रकाश
14	प्रदर्श पी–17	फर्द इत्तला 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा आरोपी ओमकार प्रसाद
15	प्रदर्श पी–18	फर्द इत्तला 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा आरोपी ओमप्रकाश
16	प्रदर्श पी–19	फर्द जब्ती एक पाईप प्लास्टिक बरंग काला एक इंची पाईप अजकब्जा मुलजिम आरोपी ओमप्रकाश
17	प्रदर्श पी–20	फर्द जब्ती कांच की बोतल के टूकडे बरंग हरे

18	प्रदर्श पी–21	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
19	प्रदर्श पी–22 व 23	नोटिस धारा 35(1)(ख)(ii) बीएनएसएस
20	प्रदर्श पी–24	प्रमाणित प्रति असल मालखाना रजिस्टर थाना एनईबी
21	प्रदर्श पी–25 व 26	एफएसएल रिपोर्ट
22	प्रदर्श पी–27 व 28	प्रमाण पत्र 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	बयान 180 बीएनएसएस गौरव	प्रदर्श डी 1
2	बयान 180 बीएनएसएस विपिन शर्मा	प्रदर्श डी 2

निर्णय **दिनांक: 23.07.2026**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण ओमकार, ओमप्रकाश** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी गौरव यादव ने रिपोर्ट थाना एनईबी में इस आशय की दर्ज करायी कि'' दिनांक 06.12.24 सांय करीब 8.15 बजे वह और उसका दोस्त संजय दो सौ फुट से साठ फुट जा रहे थे । दो सौ फीट स्थित अंडे की ढकेल पर अंडा खाने रूक गये । जो कि ओमकार नामका व्यक्ति चलाता है। वहां वह और उसका छोटा भाई मौजूद था । उसने उनसे अंडे मांगे तो वह पहले पैसे की बोलने लगे । उसने उन लोगों को दुकान खोलने के समय दो हजार की मदद की थी । जो कि उन्होंने उसे एक महिने में चुकाने की बोली थी । उसने वह बात बोली तो यह लोग उसे गाली देने लगे । व आवाज देकर अपने अन्य साथी बुलाने लगे और यह सभी लोग उस समय शराब के नशे में थे । उस समय इन लोगों ने बहुत शराब पी रखी थी । उनके साथी आते ही यह लोग उसे पकडने लगे और बोले कि आजा आज तेरा दो हजार का

हिसाब कर ही देते हैं । इनके और साथी जब तक लोहे की रॉड व डंडे लेकर आ गये और ओमकार व उसके छोटे भाई ने हाथों में शराब की बोतल उठा ली । और ओमकार ने उसके गाल पर बोतल फोड के मार दी जिसके बाद वह सभी लोग मिलकर उसे पीटने लग गये । उन पांच-छः लोगों ने डंडे व लोहे की रॉड से उसके उपर ताबडतोड हमला कर दिया । जिससे वह वहीं गिर गया और उन लोगों ने उसे जान से मारने की नीयत से शराब की बोतल और लोहे की रॉड से बहुत मारा। जिससे वह वहीं बेहोश हो गया । जिससे उसके बांयी ओर गाल पर नौ टांके व बांयी ओर सिर पर एक जगह तीन व एक जगह दो टांके व कान पर तीन टांके आये व उसके दोनों हाथों की बीच की अंगुलियां टूट गयी व दोनों हाथों पर कोहनी तक मांस फंट गया । ओमकार व ओमकार के छोटे भाई व पांच-छः अन्य साथियों ने उसे जान से मार देने की नीयत से हमला किया । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया .....इत्यादि ।

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 452/2024 थाना एनईबी अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1), 351(2), 351(3), 189(2) बीएनएस में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1) बीएनएस में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 1115(2), 126(2), 109(1) बीएनएस में प्रसंज्ञान लिया गया।

04. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा **126[2], 115[2] सपठित धारा 3[5], 109[1] सपठित धारा 3[5] भारतीय न्याय संहिता** के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाये गये जिसे सुन समझकर अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया व अन्वेक्षा चाही।

05. दिनांक 02.06.2026 को पक्षकारान की ओर से न्यायालय में राजीनामा अन्तर्गत धारा 115(2),126(2) बीएनएस में पेश किया गया। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा अभियुक्तगण को धारा 115(2),126(2) बीएनएस के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अतः अभियुक्तगण को उक्त अपराधों में जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किये जाने के पश्चात उनके विरूद्ध **अपराध अन्तर्गत धारा 109(1) सपठित 3(5) बीएनएस का विचारण शेष रहा।**

06. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 351 बीएनएसएस लेखबद्ध किये गये

जिनमें अभियुक्तगण ने जुर्म अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करने से इनकार किया गया।

07. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है-
(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.12.2024 को सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत गौरव यादव के साथ कुंदालय एक प्लास्टिक बरंग काला एक ईंची पाईप, कांच की बोतल व लोहे की रॉड से मारपीट कर आहत गौरव यादव के सिर, मुंह, गाल आदि मार्मिक अंगों सहित आहत के शरीर पर कुल 16 उपहतियां कारित की । आहत के सिर, मुंह, गाल आदि मार्मिक अंगों पर कारित उपहतियों के कारण यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

08. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि प्रकरण में परिवादी व अन्य गवाहों ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है, अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने के बाबत कोई कथन नहीं कहे हैं। दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए।

09. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की कहानी को स्थापित करती है जिससे अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में **गवाह पी डबल्यू 1 गौरव कुमार यादव है। जिसने कि तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवायी थी । उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कुछ कथन करता है और कुछ भिन्न कथन भी करता है और यह उल्लेख करता है कि** दिनांक 06.12.2024 को रात की बात है। अंधेरे में कुछ पांच सात लोगों की भीड आई और उसके साथ मारपीट की थी। पैसे की लेने देने को लेकर झगडा हुआ था। रात का अंधेरा था उसके दोस्त भी उसके साथ थे अचानक से भीड आई उन्होंने

अचानक से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पत्थर पडा हुआ था जिससे उसके सिर पर चोट आ गयी। आठ सात लोगों ने उसके साथ जबरदस्त मारपीट की थी। जिससे उसके शरीर पर चोट आई थी। जिन्होंने उसके साथ मारपीट की उनका नाम वह नही जानता ना ही उनको पहचान सकता है क्योंकि रात का अंधेरा था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका पुलिस ने उसके सामने तैयार किया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

11. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उक्त मारपीट में आई चोटों का मेडिकल हुआ जो चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 04 दो पन्नो में है जिस पर दोनों पन्नों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका एक्स रे भी हुआ था जो एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 06 है । उसका अस्पताल में इलाज चला था जिसका भर्ती टिकट प्रदर्श पी 07 है । उसका सीटी स्कैन भी हुआ था जो प्रदर्श पी 08 है । उसकी चोटों के फोटोग्राफस लिए गए थे जो प्रदर्श पी 09 लगायत 12 है जो शामिल पत्रावली है। घटनास्थल से मुताबिक पुलिस ने फोम के टूकडे व सादा मिटटी जब्त की थी जो फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटना में जो उसने टी-शर्ट पहन रखी थी जो पुलिस ने जब्त की थी जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस में बयान हुए थे।

12. जिरह में भी उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि प्रदर्श पी 1 का सी से डी भाग उसने उसके दोस्त को नहीं बताया था और प्रदर्श पी 1 उसने नहीं लिखी थी । उसने उस पर केवल मात्र हस्ताक्षर किये थे और उसने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे । हाजिर अदालत अभियुक्त ने उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की । तथा रात के अंधेरे में भीड ने उसे धक्का दिया था जिससे उसके चोटें आयी हैं । और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उन्हें वह नहीं जानता है।

13. इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करता है और अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ जान से मारने के आशय से मारपीट करने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देता है।

14. **गवाह पी डब्ल्यू 2 विपिन शर्मा है जो परिवादी का मित्र है और दस्तावेजों का गवाह है।** उक्त् गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि घटना करीब डेढ साल पहले की है। वह व उसका दोस्त गौरव यादव अंडे खाने के लिए दो सौ फुट रोड पर गए थे। वहां पर उसके दोस्त गौरव से अंडे के ठेले पर जो पांच सात लोग खडे थे उनके साथ उसकी मारपीट हो गयी। उन लोगो ने शराब पी रखी थी। उन्होने उसके दोस्त को मारपीट कर जमीन पर पटक दिया। वहां अंधेरा था। मारपीट करने वाले वहां से भाग गए वह उनका नाम नही जानता। उसने उसके दोस्त को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने प्रदर्श पी 13 व 14 जब्ती बनाई थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस में बयान हुए थे।

15. जिरह में भी उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है और उल्लेख करता है कि रात के अंधेरे में कौन व्यक्ति थे वह उनको नहीं जानता था । और किन लोगों ने मारपीट की उनका नाम भी नहीं जानता और हाजिर अदालत अभियुक्तगण को भी वह नहीं जानता । इस प्रकार उक्त गवाह भी अभियुक्तगण के द्वारा उसके व परिवादी आदि के साथ मारपीट करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है।

16. **गवाह पी डब्ल्यू 4 डॉ. पी.सी. सैनी** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 08.12.2024 को सामान्य चिकित्सालय अलवर में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना एनईबी अलवर की तहरीर पर मजरूब गौरव यादव पुत्र श्री सतीश यादव का परीक्षण कर चोटो की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 उसके द्वारा तैयार की गई जो कि दो पेजों में है। परीक्षण पर मजरूब के निम्न चोटे पाई गई:-

चोट संख्या 1- बाये कान के नीचले भाग पर टांके लगा हुआ घावल जिसकी लम्बाई 2 से.मी. थी।

चोट संख्या 2- बाये कान के सामने की तरफ से बाये तरफ गर्दन तक टांके लगा हुआ घाव जिसकी लम्बाई 8 से.मी. थी।

चोट संख्या 3- सिर के बाये पेराईटल भाग पर टांके लगा हुआ घाव जिसकी लम्बाई 1 से.मी. था तथा सुजन थी।

चोट संख्या 4- सिर के दाये ऑक्सीपिटल भाग पर रगडक 1 गुणा 1 से.मी. तथा सुजन थी।

चोट संख्या 5- सिर के दाये पेराईटल व टेम्पोरल भाग सुजन व तनाव था।

चोट संख्या 6- दाये मेस्टोईड भाग पर नीलनुमा चोट 3 गुणा 2 से.मी.।

चोट संख्या 7- बाये कंधे पर रगडक लिये हुये नीलनुमा चोट 6 गुणा 3 से.मी. था।

चोट संख्या 8- दाये हाथ की मध्य अंगूली पर दर्द व हल्का तनाव था।

चोट संख्या 9- दाये अग्रभुजा पर जगह-जगह चार नीलनुमा चोट थी जिनका आकार 8 गुणा 5 से.मी. से लेकर 3 गुणा 3 से.मी. तक था।

चोट संख्या 10- बाये अग्रभुजा के नीचल आधे हिस्से पर नीलनुमा चोट 15 गुणा 10 से.मी.।

चोट संख्या 11- बाये अग्रभुजा के मध्य तिहाई भाग पर 2 समान्तर नीलनुमा चोट थी जिनका आकार 5 गुणा 1 से.मी. था।

चोट संख्या 12- बाये कोहनी पर नीलनुमा चोट थी जिनका आकार 8 गुणा 3 से.मी. था।

चोट संख्या 13- कमर वह दर्द कोई जाहिरा चोट नही।

चोट संख्या 14- बाये आंख के नीचे नीलनुमा चोट जिसका आकार 3 गुणा 2 से.मी. था।

चोट संख्या 15- दाये माथे पर रगडक 1 गुणा 1 से.मी.।

चोट संख्या 16- बाये कान के पीछे रगडक 4 गुणा 3 से.मी.।

चोट संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 की राय एक्सरे रिपोर्ट व इलाज के दस्तावेजो व घाव के भरने तक सुरक्षित रखी गई थी। चोट संख्या 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 साधारण प्रकृति की थी। चोट संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 कुंद हथियार द्वारा कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 पर दोनो पेजों पर ए से बी मजरूब गौरव यादव के हस्ताक्षर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। परीक्षण के समय मजरूब पूर्णतः होश हवास वह था। चोटो की अवधी 1 से 3 दिन के अन्दर की थी। रेडियोलोजिस्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है जिसकी पुश्त पर ए से बी मजरूब गौरव यादव के हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय अनुसार रेडियोलोजिस्ट रिपोर्ट, पुनः परीक्षण व ईलाज के दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर प्रदर्श पी-4 वह अंकित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 साधारण प्रकृति की पाई गई व चोट संख्या 1 व 2 स्कार मार्क के आधार पर कुंद सतह द्वारा कारित पाई गई।

17. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि गिरने पडने से उक्त चोटें आ सकती हैं। इस प्रकार उक्त गवाह भी पीडित के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में साक्ष्य देता है।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 3 मोहनलाल अनुसंधान अधिकारी है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 07.12.24 को वह पुलिस थाना एनईबी अलवर पर ए.एस.आई के पद कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 452/24 धारा 115(2), 126(2), 109(1), 351(2), 351(3), 189(2) बीएनएस की पत्रावली वास्ते अनुसंधान आई.ओ को प्राप्त हुई थी। मुस्तगीस के द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर अजय शर्मा आईसी थाना के द्वारा सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित कर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश उसको दी तथा ई से एफ हस्ताक्षर किये जिनके साथ कार्य किये जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 पर भी एक्स स्थान पर आईसी थाना अजय शर्मा के डिजिटल हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मुस्तगीस गौरव यादव व गवाहान संजय मीणा, नितिन शर्मा के बयान 180 बीएनएसएस उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये।

19. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मजरूब गौरव यादव का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर एम.एल.सी प्रदर्श पी-5 व एक्सरे रिपोर्ट पी-5 बीएचटी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-7 व मजरूब गौरव की सीटी स्केन रिपोर्ट प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-8, एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-6 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। घटनास्थल का नक्शा मौका मुस्तगीस की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति में उसके द्वारा तैयार किया गया जो प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से बी मुस्तगीस व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर हालात नक्शा मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मौके से खून आलूदा फोम के टुकडे व सादा मिट्टी घटनास्थल से लेकर खूल आलूदा फोम के टुकडो को एक प्लास्टिक की शीशी में रखकर सील्ड मोहर मार्का 'ए' तथा घटनास्थल से सादा मिट्टी को शीशी में भरकर सील्ड मोहर कर मार्का 'बी' अंकित कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-13 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी मुस्तगीस व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

20. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुस्तगीस गौरव ने वक्त घटना पहनी हुई खून आलूदा टी-शर्ट को जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का 'सी' अंकित कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-14 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी मुस्तगीस व सी से डी व ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आहत के फोटो प्रदर्श पी-9 लगायत 12

प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। दौराने अनुसंधान दिनांक 09.12.24 को मुलजिम ओमकार प्रसाद को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी-15 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी-16 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

21. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 10.12.24 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम ओमकार प्रसाद के द्वारा स्वेच्छा से आई.ओ को इत्तला दी कि उसने गौरव यादव के साथ जिस हथियार पाईप से जिस स्थान पर मारपीट की थी उस स्थान व पाईप को घटनास्थल के पास पटका था जिसे वह चलकर बरामद करवा सकता है। जिसकी फर्द इत्तला दफा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार प्रदर्श पी-17 उसके द्वारा तैयार की गई जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन गिरफ्तारशुदा मुलजिम ओमप्रकाश के द्वारा स्वेच्छा से आई.ओ को इत्तला दी कि उसने गौरव यादव के साथ जिस हथियार पाईप से जिस स्थान पर मारपीट की थी उस स्थान व पाईप को घटनास्थल के पास पटका था जिसे वह चलकर बरामद करवा सकता है। जिसकी फर्द इत्तला दफा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुलजिम के कथनानुसार प्रदर्श पी-18 उसके द्वारा तैयार की गई जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

22. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिम ओमप्रकाश के द्वारा दी गई इत्तलानुसार मुलजिम ने एक प्लास्टिक का काला रंग का पाईप उसके भाई की अण्डे की ठेली से निकालकर आईओ को पेश किया जिस पर उसके द्वारा पाईप को सफेद कपडे की थैली में रखी कर सील्ड मोहर कर मार्का 'डी' अंकित कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-19 उसके द्वारा तैयार की गई जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम ओमकार प्रसाद के द्वारा दी गई इत्तलानुसार मुलजिम ने घटनास्थल के पास से एक कांच की बोतल के तीन टुकडे उठाकर आईओ को पेश किया जिनको सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का 'ई' अंकित कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-20 उसके द्वारा तैयार की गई जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

23. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिमान के द्वारा दी गई इत्तलानुसार घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका व बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-21 मुलजिमान की निशादेही वह उसके द्वारा तैयार किया। जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ व जी से एच मुलजिमान व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर के से एल हालात मौका अंकित है तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान ओमप्रकाश व ओमकार प्रसाद को गिरफ्तारी से पूर्व दिया गया नोटिस **धारा 35(1)(ख)**(ii) बीएनएसएस दिये गये जो क्रमशः प्रदर्श पी-22 व 23 उसके द्वारा दिये गये। जिन पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया जाकर एच.एम मालखाना को मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-24 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। जिस पर बतौर प्रमाणितकर्ता ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा माल मार्का 'ए', बी, सी, ई परीक्षण हेतु कानि. इमरान के द्वारा एफएसएल में जमा करवाई जाकर जमा रसीद प्रदर्श पी-25 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी-26 है।

24. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि सम्पूर्ण अनुसंधान के दौराने उसके द्वारा ई साक्ष्य एप की कार्यवाही में किसी प्रकार की छेडछाड नही की गई जिसके बाबत् 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-27 लगायत 29 प्रमाण पत्र जारी किये जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण तफ्तीश से मुलजिमान ओमकार प्रसाद व ओमप्रकाश के विरूद्ध अपराध धारा 115(2), 126(2), 109(1)बीएनएस में अपराध प्रमाणित मानते हुये पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की । थानाधिकारी दिनेश चंद के द्वारा उच्चाधिकारियो के दिशा निर्देशानुसार उक्त मुलजिमान ओमकार प्रसाद व ओमप्रकाश के विरूद्ध अपराध धारा 115(2), 126(2),109(1)बीएनएस में चार्जशीट नं. 561 दिनांक 30.12.24 किता कर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट पर एक्स स्थान उसके व व्हाई स्थान पर दिनेश चंद थानाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर है।

25. जिरह में भी उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसने मौके पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया था और पाईप व कांच का टुकडा आदि जब्त किये थे और उसके द्वारा वैद्य तरीके से अनुसंधान करके आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

26. इस प्रकार उक्त गवाह अपने अनुसंधान की पुष्टि में कथन करता है । परन्तु परिवादी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देता है और कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं करता है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट करके गंभीर चोटें पहुंचायी हो और मजरूबान के प्राणघातक चोटें होने बाबत डॉक्टर ने भी कोई साक्ष्य नहीं दी है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अभियुक्तगण को **अपराध अन्तर्गत धारा 109(1)सपठित धारा 3(5) बीएनएस** के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

27. अतः अभियुक्तगण **1.ओमकार प्रसाद** पुत्र हरिओमप्रकाश **2. ओमप्रकाश** पुत्र हरिओमप्रकाश निवासीगण सरस्वती कॉलोनी ठाकर वाला कुंआ 200 फुट रोड अलवर पुलिस थाना एनईबी जिला अलवर को **अपराध अन्तर्गत धारा 109(1) सपठित धारा 3(5) बीएनएस** में **साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

28. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 115(2),126(2) बीएनएस के तहत जरिये राजीनामा आदेशिका दिनांक 02.06.2026 द्वारा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

29. अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

30. प्रकरण में जब्तशुदा खून आलूदा टी शर्ट, प्लास्टिक का पाईप बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जावे ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

31. निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर